मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक / स्था. / रांज / 25 / 1860 जबलपुर, दिनांक 28 / 02 / 2025

/ / विज्ञप्ति सूचना / /

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 2–57 / 2018 / 55–1 दिनांक 06 / 08 / 2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018 के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के पत्र कमांक 3486 / स्था / राज / 2018 दिनांक 08 / 08 / 2018 के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र कमाक एफ–07–25–2019–आ.प्र.–एक–म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19 / 08 / 2019 के अनुसार स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर (सुपर स्पेशिलिटी) के रिक्त पदों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधीभर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति की जाना है ऐसे अभ्यार्थी जो कि शासन / एनएमसी द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हों इस हेतु आवेदन पत्र स्वशासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में दिनांक 28 / 03 / 2025 सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते है।

1. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश की वेबसाईट **www.nscbmc.ac.in** पर उपलब्ध है ।
2. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं।
3. साक्षात्कार की तिथि एवं इस हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची महाविद्यालय की वेबसाईट पर की जावेगी तथा ईमेल एवं दूरभाष द्वारा भी सूचित किया जायेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक / स्था / राज / 25 / 1860 जबलपुर दिनाक 28/02/2025

विज्ञप्ति

म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–57 / 2018 / 55–1 दिनांक 06 / 08 / 2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018 के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के पत्र क्रमांक 3486 / स्था / राज / 2018 दिनांक 08 / 08 / 2018 के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्ल्भ भवन भोपाल के राजपत्र क्रमाक एफ–07–25–2019–आ.प्र.–एक–म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण)नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19 / 08 / 2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर (सुपर स्पेशिलिटी) के रिक्त पदों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधीभर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है ऐसे अभ्यार्थी जो कि शासन / एन.एम. सी द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हों इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 / 03 / 2025 सांय 05:30 बजे तक है ।

(प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक एवं सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी)

S.No.	NAME OF POST	PROFESSOR					
		UR	EWS	OBC	ST	SC	TOTAL
1	Professor Anaesthesia (CVTS)	01	-	-	-	-	01
2	Professor Neurology	01	-	01	01	-	03
3	Professor Neurosurgery	01	-	01	01	-	03
4	Professor Paediatric Cardiology	01	-	-	-	-	01
5	Professor Interventional Cardiology	01	-	-	-	-	01
6	Professor Nephrology	01	-	01	01	-	03
7	Professor Urology	01	-	01	01	-	03
8	Professor Neonatology	01	-	01	01	-	03
9	Professor Cardiac Surgery	-	-	01	01	-	02
	TOTAL	**08**	-	**06**	**06**	-	**20**
S.No.	**NAME OF POST**	**ASSOCIATE PROFESSOR**					
		UR	EWS	OBC	ST	SC	TOTAL
1	Associate Professor Neurology	-	-	01	01	-	02
2	Associate Professor Nephrology	-	-	01	01	-	02
3	Associate Professor Urology	-	-	-	01	-	01
4	Associate Professor Neonatology	01	-	01	01	-	03
5	Associate Professor Cardiac Surgery	01	-	01	01	-	03
	TOTAL	**02**	-	**04**	**05**	-	**11**
S.No.	**NAME OF POST**	**ASSISTANT PROFESSOR**					
		UR	EWS	OBC	ST	SC	TOTAL
1	Assistant Professor Anaesthesia	01	-	-	-	-	01
2	Assistant Professor Anaesthesia (CVTS)	-	-	-	01	-	01
3	Assistant Professor Neurology	02+01(F)	-	01	01	01	06
4	Assistant Professor Neurosurgery	-	-	01	01	-	02
5	Assistant Professor Paediatric Cardiology	01	-	-	01	-	02

क्रमशः पेज-02

6	Assistant Professor Interventional Cardiology	-	-	-	01	-	01
7	Assistant Professor Nephrology	01+01(F)	-	01	01	01	05
8	Assistant Professor Urology	-	-	-	02	01	03
9	Assistant Professor Neonatology	-	-	02	01	-	03
10	Assistant Professor Cardiac Surgery	-	-	02	-	01	03
11	Assistant Professor Radiodiagnosis	-	-	-	01	-	01
	TOTAL	**07**	-	**07**	**10**	**04**	**28**

S.No.	NAME OF POST	GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER					
		UR	EWS	OBC	ST	SC	TOTAL
1	G.D.M.O	-	-	01	-	-	01
	TOTAL	-	-	01	-	-	01

उपरोक्त चिन्हित पदों मे OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, ST = अनसूचित जनजाति, SC = अनसूचित जाति, EWS = आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है ।

1. पदों की संख्या घटाई एवं बढाई जा सकती है।
2. भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्ते की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट पर **www.nscbmc.ac.in** पर उपलब्ध है ।
3. विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति / पदोन्नतिया रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेगें।
4. साक्षात्कार की तिथि एवं इस हेतु पात्र उम्मीदवारो की सूची महाविद्यालय की वेबसाईट पर की जावगी तथा ईमेल द्वारा भी सूचित किया जायेगा ।
5. उक्त विज्ञापित पदों हेतु एन.एम.सी मापदण्डानुसार अहर्ताऐं विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य होंगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल जबलपुर में सीधीभर्ती द्वारा प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक एवं सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति संबंधी विवरण

1. वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु (चिकित्सा शिक्षक संवर्ग हेतु)
   1. प्राध्यापक – 3.00 लाख रूपये (प्रतिमाह निश्चित वेतन)
   2. सह–प्राध्यापक – 2.50 लाख रूपये (प्रतिमाह निश्चित वेतन)
   3. सहायक प्राध्यापक – 1.50 लाख रूपये (प्रतिमाह निश्चित वेतन)
   4. सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी – 15600-39100+5400 GP

टीप – प्रारंभिक वेतनमान पर वार्षिक वेतनवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी ।

प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा – न्यूनतम 35 वर्ष – अधिकतम – 62 वर्ष
सह प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा – न्यूनतम 30 वर्ष – अधिकतम – 62 वर्ष
सहायक प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा – न्यूनतम 25 वर्ष – अधिकतम – 62 वर्ष
सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी – न्यूनतम 25 वर्ष – अधिकतम – 62 वर्ष

टीप – आयु की गंणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी 2025 के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

1. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
2. जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

3. अर्हताये :–

स. क्र.	अनुसूची 1 का स. क्र.	पद का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	प्राध्यापक	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा निर्धारित नवीनतम मापदण्डों अनुसार।
2	2	सह प्राध्यापक	
3	3	सहायक प्राध्यापक	
4	4	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	

टीप:-1. अनुसूची के कालम 5 में उल्लखित अर्हताओं में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताए स्वयं ही लागू होगी।

2. साधिकार समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य दोनो अर्हताए निधारित कर सकेगी ।
3. अन्य योग्यताएं जोकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

4. निरर्हतायें–

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

क्रमशः- 04

- कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

5. भर्ती की प्रकिया

5.1 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति विज्ञप्ति जारी करते हुए पारदर्शी प्रकिया अपनायेगी।

5.2 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनो नियत कर सकेगी।

5.3 चयन समिति मैरिट के आधार पर एवं मैरिट कम अभ्यर्थियों के चयन हेतु अनुशंसा देगी ओर तथानुसार वरीयताकम में नियुक्ति की जा सकेगी। मेरिट सूची बनाने हेतु उपयोग किये जाने वाले तालिका का निर्धारित प्रारूप स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. की वेबसाईट **www.nscbmc.ac.in** पर उपलब्ध है ।

5.4 महाविद्यालय में सेवारत अर्हताधारी व्यक्ति रिक्त पर के विरूद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेना होगी।

5.5 सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय जबलपुर के अतिरिक्त अन्य सेवारत चिकित्सकों का अनुसूची –01 मे विनिर्दिष्ट किसी पद के विरूद्ध चयन किये जाने की दशा मे ऐसे व्यक्ति द्वारा महाविद्यालय मे की पूर्व सेवा एवं वेतनभत्तों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

5.6 किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मे सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा मे कार्यरत व्यक्ति को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मे कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना होगा।

6. सेवाशर्ते

6.1 चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राईवेट प्रेक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा।

6.2 प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के प्रारंभिक मासिक एकमुश्त निश्चित वेतन पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ कमांक/एफ/1/1/1/0002/2024/1/55 भोपाल, फरवरी 2024.

6.3 भ्रमण पर यात्रा भत्ता एंव दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रतानुसार देय होगा।

6.4 विषय विशेष में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष में दो बार देश के भीतर तथा एक बार देश के बाहर वायूयान किराया, दैनिक भत्ता, एवं वर्कशॉप/सेमीनार शुल्क दिया जायेगा।

6.5 निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जायेगी । निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय करने तक राज्य शासन के प्रथम श्रेणी की भांति ग्रह भाड़ा भत्ता दिया जायेगा जो महाविद्यालय द्वारा आवास सुविधा प्रदाय (Offer) की जाने की तिथि से स्वयंमेव बंद हो जायेगा ।

6.6 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक को उपरोक्त उल्लेखित एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्यधारित निम्न परिश्रमिक दिया जायेगा :–

(अ) चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा तथा इन्टरवीन्शन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत या इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार ।

(ब) चिकित्सा शिक्षक द्वारा Paid OPD में देखे गए मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत या इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार ।

6.7 चिकित्सा शिक्षक को 01 वर्ष की सेवा देने के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा 01 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा मे छः माह का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मे जमा करना होगा।

6.8 साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 4 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताये सेवा समाप्त कर सकेगी।

6.9 अवकाश, आचरण, एवं अर्धवार्षिकीय आयु के संबंध मे म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे। शेष जो शर्ते मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 में निहित हैं वे लागू होंगी। जिनका अवलोकन संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र./नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाईट **www.nscbmc.ac.in** पर किया जा सकता है, एवं अन्य समस्त नियम व शर्ते म.प्र. शासन के नियमानुसार लागू होंगे।

7. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :– स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महविद्यालय जबलपुर में आवेदन पर पत्र दिनांक 28/03/2025 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

8. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्तियां/पदोन्नतियां रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकंगे।

10. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी, आवेदन पत्र एवं मेरिट सूची बनाने हेतु उपयोग किये जाने वाले तालिका का निर्धारित प्रारूप स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मप्र. की वेबसाईट **www.nscbmc.ac.in** पर उपलब्ध है ।

11. उक्त नियुक्तियों मे विवाद की स्थिती में न्यायायलयीन कार्य क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर होगा एवं होने वाली नियुक्तियों मे यदि माननीय न्यायालय कोई निर्देश जारी करता है तो प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय सर्वोमान्य होगा।

12. विज्ञापित पदों हेतु संपूर्ण योग्यता केवल आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्य होगी।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को अनिवार्यतः पूर्ण करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी। बिंदु क्र. 04 के संबंध में चयन उपरांत 07 कार्यालयीन दिवस में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्यः है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

आवेदन का प्रारूप

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्व प्रमाणित फोटो

पद का नाम :–..

विषय :...

1. आवेदक का नाम ....

2. पुरूष / महिला ....

3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित)...

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)...

....

शहर का नाम.................................... फोन नं...

मोबाइल नं...ईमेलआईडी..

5. स्थाई पता...

....

शहर का नाम.............................. फोन नं...

मोबाइल नं...

6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) ....

7. जन्मतिथि (**हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें**)................................

8. शासकीय / अशासकीय सेवा में होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र ....

9. दिनांक 01 / 01 / 2025 को आवेदक की आयु ....दिन .... माह .... वर्ष

10. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित / अविवाहित

11. विवाह का दिनांक– ....

12. वर्गः अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग .... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

13. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनॉक ....

अ. (एम.बी.बी.एस.)––––––––––––––––––

ब. एमडी / एमएस––––––––––––––––––––

स. एमसीएच / डीएम––––––––––––––––––

क्रमशः पेज-02

14. शैक्षणिक योग्यताऐं:-(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्रं	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/ वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/						
6	MCH/DM						
7	S.R						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोटः- प्रत्येक परीक्षा के प्रयास **(Attempt)** प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

15. शैक्षणिक अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	प्दनाम	रिमार्क
1	प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
2	सह प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
3	सहायक प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	शैक्षणिक अनुभव
5	अधीक्षक	शेक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव
6	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	शैक्षणिक अनुभव

16. पात्रता के बाद अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

17. रिसर्च पब्लिकेशन :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	प्दनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

18. बॉण्डेड अभ्यार्थियों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
19. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
20. म.प्र. मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
21. कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या :-----

स्थान................................ आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक..............................

//घोषणा-पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

*CHECK LIST -01

For post of Professor / Associate Professor / Assistant Professor & General duty medical Officer in Super Specialty Hospital, Medical College Jabalpur

Scrutiny of Document

Date:

Name of Candidate:- ....

Category: ....

Age/Sex: Marital Status (If Married age at marriage): No. of Children:......................

Subject: ....

Place of work and designation (present):..

....

ORIGINAL DOCUMENT:

1. **Date of Birth (High School Mark Sheet):** Attached / Not Attached
2. **MBBS Mark sheets:** Attached / Not Attached
3. **MBBS Degree:** Attached / Not Attached

   Year:............... **College:** ....MCI Recognized: .YES/NO
4. **Registration of MBBS:** Attached / Not Attached
5. **Internship Completion Certificate:** Attached / Not Attached
6. **PG Degree(In same subject): Attempt:** .... (Attempt certificate – Attached/Not Attached)

   Subject: .... **Year:** .... **College:**..............................
7. **MBBS (MP STATE MEDICAL COUNCIL) Registration No. :** ....
8. **Post Graduation (MP STATE MEDICAL COUNCIL) Registration No.:** ....
9. **Certificate issued by Dean after PG:** Attached / Not Attached
10. **Certificate of teaching experience as Professor/Associate Professor/Assistant Professor:**

S. NO.	POST	MEDICAL COLLEGE	DURATION
1.	Professor		
2.	Associate Professor		
3.	Assistant professor		
4.	Demonstrator		
5.	General Duty Medical Officer		

क्रमश: पेज-02

[signature]

11. Publications in National/International, Index journals as per MCI As 1st /2nd /Corresponding Author. (Publication Enclosed)

S.NO.	DESIGNATION AT TIME OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
1	Professor	
2	Associate Professor	
3	Assistant Professor	

12. Certificate of Award if have: ……………………………………………………………………..

13. Certificate of Fellowship: Subject…………………….. Duration:………………...

14. Junior Resident (JR) Ship: Subject………………… Duration:………………...

15. For Bonded Candidate, NOC if bond completed/paid bond amount or Joining Letter if working for MP Government. Attached / Not Attached

16. Caste Certificate by Competent Authority: Attached / Not Attached

17. MP Domicile (Yes/No) Certificate: Attached / Not Attached

18. Employers NOC if in Service (Government/Semi Government/Private): Attached / Not Attached

19. Identity Card(Adhar Card/PAN Card/Driving licence/Voter ID): Attached / Not Attached

Note:

1. **For Bonded Candidate, if document deposited in college, bring Certificate issued by dean for documents deposited in the institute and self-attested copy of documents deposited in Institute.**
2. **NOC is not required for candidate applied in same Institute in which he/she work.**

Name :-

(Name & Signature)

Scrutiny Officer

Signature :-

Date …………………….